

विषय सूची

क्र०सं०	प्रपत्र	पृष्ठ संख्या
1	फैक्ट सीट	1
2	प्रतिवेदन	3
3	राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म। भाग-1	4
4	भाग-II (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)	5
5	भाग-III (सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)	7
6	भाग-IV (नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)	8
7	भाग-V (वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)	9
8	प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।	10
9	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)।	13
10	SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF (for the forest land to be diverted under FCA)	15
11	प्रस्तावित योजना का स्थल मानचित्र	16
12	डिजिटल मानचित्र मय दो सी0डी0 संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है	20
13	वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र	21
14	विभिन्न विकल्पों का तुलनात्मक विवरण व उनके निरस्त किये जाने का कारण का प्रमाण-पत्र।	22
15	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र।	23
16	लैन्ड शेड्यूल	24
17	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई	26
18	बार चार्ट	27
19	कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण पत्र	28
20	परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण।	29
21	परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।	34
22	परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की मूल्य सूची।	35
23	बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र।	36
24	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	37
25	प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र	38
26	परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने का प्रमाण-पत्र।	39
27	राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण-पत्र।	40
28	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	41
29	आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	42
30	Cost Benefit Ratio Chart	43
31	आम सभा बैठक प्रमाण-पत्र।	44
32	ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।	45
33	कार्यालय उपजिलाधिकारी हल्द्वानी-अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र। उपखण्ड स्तरीय समिति।	46
34	जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।	47
35	भू-वैज्ञानिक की आख्या	52

क्र०सं०	प्रपत्र	पृष्ठ संख्या
36	भू-वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	56
37	गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त संस्तुतियों मान्य होने का प्रमाण पत्र।	57
38	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण-पत्र।	58
39	धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र।	59
40	वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र।	60
41	परियोजना निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	61
42	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र।	62
43	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य/लीज रेंट का प्रमाण-पत्र	63
44	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन मय मानचित्र	64
45	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का उपयुक्तता प्रमाण पत्र	65
46	रिक्त पड़े स्थानों पर उचित प्रजातियों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षों हेतु रख-रखाव का प्राक्कलन।	66
47	काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में दस गुना पेड़ लगाये जाने का सप्तवर्षीय प्राक्कलन।	69
48	एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन।	70
49	एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	71
50	प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर०सी०सी० पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन।	72
51	लीज अवधि का प्रमाण-पत्र	73
52	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र।	74
53	प्रस्ताव को भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करना व उक्त प्रस्ताव की दो सी०डी० पी०डी०एफ० फारमेट में उपलब्ध कराना।	75
54	प्रमाण पत्र (To Whomsoever it may concern)	76

फैक्ट सीट

- 1-परियोजना का नाम - जनपद नैनीताल में रामनगर वन प्रभाग, रामनगर के कालाबूगी राजि के बौर वन ब्लॉक अन्तर्गत कालाबूगी नहर के लिए बौर नदी पर डाइवर्जन हेतु 0.35 है० क्षेत्र में हैड निर्माण कार्य के सम्बन्ध में वन भूमि हस्तान्तरण।
- 2-प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल(है० में)-
- | | | |
|------------------------|---|----------|
| आरक्षित वन भूमि | - | 0.35 है० |
| सिविल एंव सोयम वन भूमि | - | - |
| वन पचायंत भूमि | - | - |
| निजी भूमि | - | - |
| योग | - | 0.35 है० |
- 3- प्रस्तावक विभाग का नाम - अधिशारी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, नैनीताल।
- 4- वन प्रभाग का नाम - रामनगर वन प्रभाग, रामनगर।
- 5- प्रस्ताव वाइडिंग किया गया है- हाँ/ नहीं
- 6- प्रस्ताव में विषय सूची भरी गयी है- हाँ/ नहीं
- 7- क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग-1, 2, व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गयी है- हाँ/ नहीं
- 8- क्या प्रारूप में वाछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है- हाँ/ नहीं
- 9- प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है- हाँ/ नहीं
- 10-प्रभावित होने वाले वृक्षों के सख्यां की सूची/प्रमाण पत्र सलग्न है- हाँ/ नहीं
- 11-बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण-पत्र सलग्न है- (उक्त निर्माण में कोई भी बांज प्रजाति का वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है)
- 12-प्रभावित होने वाले वृक्षों की सख्यां यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है- हाँ/ नहीं
- 13-समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की सख्यां व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची सलग्न है- हाँ/ नहीं
- 14-क्या वृक्षों की सख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है- हाँ/ नहीं
- 15-क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव में सलग्न है- हाँ/ नहीं
- 16-क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है- हाँ/ नहीं
- 17-प्रस्तावित मार्ग के दोनो ओर परियोजना के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना सलग्न है- लागू नहीं
- 18-क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है- हाँ/ नहीं
- 19-प्रस्तावित क्षेत्र हाथी करेडोर का हिस्सा है- हाँ/ नहीं
- 20-क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है- हाँ/ नहीं

- 21-प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है- लागू नहीं
- 22-क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा गया है- ☒/नहीं
- 23-यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है। लागू नहीं
- 24-क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है- ☒/नहीं
- 25-यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय। लागू नहीं
- 26-सड़क निर्माण हेतु तलाशी गयी अन्य सम्भावनायें/वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं- लागू नहीं
- 27-वैकल्पिक समरेखण को निरस्त करने का कारण संलग्न है।
- 28-लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है- ☒/नहीं
(5 है० से अधिक के प्रकरण में लागू होगा)
- 29-मानचित्र व बार चार्ट में एकरूपता है- ☒/नहीं
- 30-मलवे की योजना मय मानचित्र के संलग्न है-
अथवा
मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है- संलग्न है।
- 31-राज्य सरकार द्वारा लगायी जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न है- ☒/नहीं
- 32-क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियाँ मूल में संलग्न हैं-
(यदि छायाप्रतियाँ संलग्न की गयी हैं तो क्या वे सत्यापित हैं) ☒/नहीं
- 33-यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र संलग्न है- लागू नहीं
- 34-वित्तीय प्रशासनिक/स्वीकृति संलग्न है- ☒/नहीं
- 35-क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है- ☒/नहीं
- 36-क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न है- ☒/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फ़ैक्ट सीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण-पत्र / सूचनायें संलग्न कर दी गयी हैं।


(प्रयोक्ता एजेन्सी)
अधिसारी अभियन्ता
सिचाई खण्ड, नैनोवाल